कार्यालय कलेक्टर, जिला अलीराजपुर (मध्य प्रदेश)

कमांक/2834 /स्थापना/2016

अलीराजपुर, दिनांक 27/7/2016

:: आदेश ::

मध्य प्रदेश, शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल पत्र कमांक एफ–2–10/2012/सात/4–ए दिनांक 04.03.2014 के अनुसार लोक सेवा प्रबंधक के प्रभावी कियान्वयन के लिए जिला कार्यालय अनुभाग एवं तहसील कार्यालय हेतु कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा 10,000/–रूपये प्रतिमाह मानदेय) के पद की पूर्ति हेतु गठित समिति द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंक का योग कर प्रावीण्य सूची के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नांकित अभ्यार्थीयों को कॉलम नं 4 में दर्शित कार्यालयों में निम्नानुसार शर्तो के अधीन संविदा 10,000/–रूपये प्रतिमाह मानदेय पर संविदा नियुक्ति दी जाती है :–

क्र.	अभ्यार्थी का नाम/पता	वर्ग	पदस्थ कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1	श्री प्रशांत पिता अशोक वर्मा निवासी ग्राम दोंदवाडा तहसील पानसेमल जिला बड़वानी	अ.जा.	कार्यालय कलेक्टर, जिला अलीराजपुर
2	श्री कबीर पिता नवीन दुबे निवासी नर्मदा नगर जोबट तहसील जोबट जिला अलीराजपुर	सामान्य	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जोबट
3	श्री राकेश पिता नाहरसिह रावत, निवासी पशुपतिनाथ मार्ग कुम्हारवाडा अलीराजपुर जिला अलीराजपुर	अ.ज.जा	तहसील कार्यालय, अलीराजपुर
4	श्री राहुल पिता शांतीलाल सेन निवासी 623 साईनाथ कालोनी मण्डवाडा तहसील अंजड जिला बडवानी	पि.वर्ग	तहसील कार्यालय, चन्द्रशेखर आजाद नगर (भाबरा)
5	श्री हिरेन्द्र पिता सखाराम अमझरे, निवासी 507 विरसावकर मार्ग पलसूद जिला बडवानी	पि.वर्ग	तहसील कार्यालय, सोण्डवा
6	श्री बाबुलाल पिता मालसिह निगम निवासी ग्राम धनोरा तहसील मनावर जिला धार	अ.ज.जा	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अलीराजपुर
7	श्री दीपक पिता जलालसिह अलावे, निवासी ग्राम होलगांव पो. अतरसंभा तहसील एवं जिला बडवानी	अ.ज.जा	तहसील कार्यालय, कट्ठीवाडा
8	कु. अनिता पिता पुरमसिह मोर्य निवासी म.न. 140 ब्लाक कालोनी जोबट जिला अलीराजपुर	अ.ज.जा	तहसील कार्यालय, जोबट

यह मानदेय पर संविदा नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी –

1. प्रथम संविदा अवधि एक वर्ष के लिए होगी। वर्षान्त पर कार्य का वार्षिक मूल्याकंन किया जायेगा। मूल्यांकन के आधार पर उपर्युक्त होने पर एक वर्ष के लिए पुनः सेवावृद्धि पर नियुक्त किया जा सकेगा। इस तरह संविदा नियुक्ति में 02 बार वृद्धि की जा सकेगी। अर्थात कुल संविदा कुल 03 वर्ष के लिए होगी।

2. 03 वर्ष पश्चात् आवश्यकता एवं उपयुक्तता के आधार पर समग्र विचार कर सेवा में अवधि वृद्धि का निर्णय लिया जायेगा।

3. इस संविदा नियुक्ति के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा भविष्य में नियमितीकरण की कोई मांग या कोई दावा नहीं किया जायेगा।

4. कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर संविदा अवधि के दौरान रू. 10,000/–दस हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा।

5. संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को नियमानुसार 01 वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।

6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियमानुसार 01 वर्ष में 15 दिन के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। चिकित्सा अवकाश न लिये जाने की स्थिति में इसे आगामी वर्ष में नहीं जोड़ा जायेगा।

7. संविदा पर नियुक्त महिला को नियमानुसार 90 दिन के प्रसूति अवकाश के मानदेय की राशि सहित पात्रता होगी। प्रसूति अवकाश में पात्रता 02 जीवित संतानों तक ही सीमित होगी। प्रसूति संबंधी गंभीर चिकित्सकीय आवश्यकताओं हेतु महिला संविदा कर्मियों को 90 दिन का बिना मानदेय के अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। स्वीकृति का अधिकार जिला कलेक्टर को होगा।

8. सभी प्रकार के अवकाश का उपभोग जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति से किया जाएगा। बिना अवकाश स्वीकृति के/अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति अवधि का मानेदय नहीं मिलेगा।

9. नियुक्ति के पश्चात् जिला के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थित होने के पश्चात् 07 दिवस की अवधि में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा।

10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवाएं निर्धारित अवधि के पूर्व कलेक्टर द्वारा एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकेगी।

11. संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का मानदेय नगद जमा कर संविदा सेवा से त्याग पत्र दे सकता है।

12. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी (कार्यालय प्रमुख) की पूर्व अनुमति/ निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को कोई भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।

13. कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

14. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को समय–समय पर सौंपे गए अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे।

15. नियुक्ति पत्र में दर्शायी तिथि तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश कर्मचारी के लिए निरस्त माना जायेगा।

16. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जायेगी।

17. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेंगे।

18. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी पर उसे प्रावधानिक किये गये कार्य मानक स्तर से नहीं करने तथा अनुशासनहीनता करने की स्थिति में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर रूपये 250/–रूपये तक अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा। संविदा के दौरान 02 बार से अधिक अर्थदण्ड लगने की स्थिति निर्मित होने पर तीसरी बार अर्थदण्ड लगाते समय सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

19. चयनित अभ्यार्थी उसका पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा पर माना जायेगा। यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

20. विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा।

21. चयनित अभ्यर्थी को आदेश जारी होने के 15 दिवस के अन्दर कार्य पर उपस्थित होना होगा। नियत अवधि में उपस्थित न होने की दशा में नियुक्ति आदेश रद्ध कर प्रतीक्षा सूची से अगले क्रम के अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही की जायेगी।

(शेखर वर्मा)
कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

पृ.क./2835/स्था./2016
अलीराजपुर दिनांक 27/7/..

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक सेवा प्रबंधन विभाग भोपाल।
2. सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
4. प्रभारी अधिकारी वित्त–2 (जिला नाजिर) कलेक्टोरेट, अलीराजपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अलीराजपुर/जोबट/चन्द्रशेखर आजाद नगर (भाबरा)/कट्ठीवाडा/सोण्डवा जिला अलीराजपुर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. तहसीलदार तहसील अलीराजपुर/जोबट/चन्द्रशेखर आजाद नगर (भाबरा)/कट्ठीवाडा/सोण्डवा जिला अलीराजपुर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. जिला कोषालय अधिकारी अलीराजपुर/उप कोषालय अधिकारी, जोबट की ओर सूचनार्थ।
8. कार्यालय जिला प्रबंधक, (लोक सेवा गारंटी) जिला अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ।
9. संबंधित .... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
के संविदा (10,000/- दस हजार) मानदेय पर नियुक्ति
करने बाबत् /